FROM NO-111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** **केकडी**
श्री इकबाल पुत्र श्री इब्राहिम व अन्य **बनाम** राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा 131 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
एवं धारा 209 राज0 काश्त0 अधिनियम 157 नं. 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए।
22-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने ग्राम बघेरा की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या नया–पुराना 39–37 खसरा नंबर 1251 / 5366 रकबा 1.61 बा03 वादीगण के नाम दर्ज है। इस आराजी के पुराने खसरा नंबर 167 / 7,167 / 8, 167 / 9,184 / 1 / 71 रकबा क्रमशः 0.69,0.45,0.16,0.31 है0 है वांदीगण के नाम चली आ रही है। इनके नक्शा ट्रेस मे रकबा 1. 22 है0 बनता है जो कि वास्तविक रकबे से 0.39 है0 कम है। अतः इस रकबे को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.65 है. मे से 0.60 है0 नामा0 संख्या 3620 दिनांक 19.09. 12 से गै0मु0 कब्रिस्तान ग्राम पंचायत बघेरा के नाम दर्ज हो चुका है। अतः नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर दावा डिकरी किया जाने का निवेदन किया था। प्रतिवादीगण जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रकरण मे आगे कार्यवाही की जा रही थी और प्रकरण वादी शहादत जिरह मे दर्ज था। इसी बीच पक्षकारान् के आपस मे राजीनामा होना बताया वादी के वकील ने फर्द के साथ असल राजीनामा दिनांक 8.06.19 तथा असल अखबार राजस्थान पत्रिका की न्युज दिनांक 09.06.19 प्रस्तुत की जिसके मुताबिक ग्राम बघेरा का खसरा नम्बर 1251 / 5366 रकबा 1.61 है जो वादीगण के नाम दर्ज है किन्तु वर्तमान नक्शे मे 0.39 है0 कम पड़ता है। यह है कि 1250 मे से वादीगण को दिलवायी जावेगी शेष कब्रिस्तान का रकबा कब्रिस्तान के नाम ही रहेगा। इसमे दोनो पक्षो को कोई एतराज नही रहेगा। कब्रिस्तान के अंदर जाने हेतु रास्ता रखे ताकि कब्रिस्तान मे आने जाने मे कोई रूकावट उत्पन्न नहीं होवे। रोड़ की तरफ खातेदार प्रथमपक्ष की कम पड़ी हुई भूमि दे दी जावेगी। व मौके पर मौजूद कब्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जावेगी। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज,राजीनामा अखबार की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् मे राजीनामा होकर प्रकरण का निस्तारण हो इससे अच्छी स्थिति न्याय के लिए नही हो सकती है। पक्षकारान न्यायालय मे उपस्थित है उन्होने पहचान पत्र प्रस्तुत किये तथा वकील वादी ने भी पक्षकारान की पहचान की। ग्राम पंचायत बघेरा के सरपंच भी उपस्थित है उनके भी आदेशिका पर तथा राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा श्री सोजीराम ने भी राजीनामा होना जाहिर किया है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 131एल0आर0एक्ट एवं 209 आरटीएक्ट का राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि पुराने खसरा नंबर 167 / 7,167 / 8,167 / 9,184 / 1 / 71 रकबा 0.69,0.	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

45,0.16,0.31है0 है,के नये नंबर 1251/5366वाकै ग्राम बघेरा का नक्शा ट्रेस जो बना हुआ है जिसको दुरूस्त किया जाकर पुराने खसरा नंबर के कब्जे अनुसार आराजी खसरा नंबर 1251/5366 का नक्शा ट्रेस राजीनामा अनुसार बनाया जाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। वाद का खर्चा अपना अपना वहन करे। तहसीलदार केकड़ी रिकार्ड नक्शा ट्रेस दुरूस्ती की कार्यवाही करे। इस आशय की डिकरी जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:01:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: